न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 83/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. भूराराम पुत्र घेवरराम 2. धरमा पुत्र घेवरराम के का.मु. 2/1 मांगीदेवी पत्नी धरमा 2/2 गोविन्द पुत्र धरमा 2/3 जयराम पुत्र धरमा 2/4 महेन्द्र पुत्र धरमा 2/5 विमला पुत्री धरमा 2/6 शोभा पुत्री धरमा जातियान–माली निवासीगण– आ. कालू तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।		1. पोकरराम पुत्र चिमनाराम जाति–कुमावत निवासी–कांवलिया खुर्द तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण जिला–पाली राज.।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.17/06/2019

उपस्थितः–

1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री किशोर कुमावत, राजूराम कुमावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 31/12/2019

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा –कांवलिया खुर्द, पटवार हल्का–कांवलिया खुर्द भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लाम्बिया तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नंबर 574 रकबा 08–16 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 पोकरराम संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि की चालू जमाबन्दी खतौनी मय नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 574 के चिपती ही अप्रार्थी संख्या 01 पोकरराम की खरीदसुदा खातेदारी भूमि खसरा नंबर 575 रकबा 01–07 बीघा किस्म–बारानी दोयम स्थित है उक्त कृषि भूमि जमाबन्दी खतौनी मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 574 में आने–जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 पोकरराम की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 575 में से होकर कस्बा जैतारण से मेड़ता सिटी जाने वाली मेगा हाईवे रोड़ पर गुजरता है उक्त कदीमी रास्तो को प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी टू ए बिन्दूओं में लाल रंग से दर्शाया गया है तथा इसी नजरी नक्शे में काले रंग से दशाई कस्बा जैतारण से मेड़ता सिटी जाने वाली सड़क है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कदीमी रूप से शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोंक से नजरी नक्शे में दर्शाये गये मार्क ए, बी, सी, डी टू ए भू-भाग के रास्ते पर आवागमन करते आ रहे है साथ ही इसी रास्ते की भूमि से प्रार्थीगण मवेशी, खाद, बीज, हल, बेल, ट्रेक्टर, फसल, इत्यादि के रूप में काम में लेते आ रहे हैं उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 574 में जाने का कोई रास्ता नहीं है उक्त कदीमी रास्ता आज दिन तक चालू है जो करीबन 25-30 फुट चौड़ा रास्ता है। उक्त रास्ते के पास ही लौहे का गेट लगा हुआ है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाये गये मार्क ए, बी, डी, डी टू ए भू-भाग के रास्ते पर प्रार्थीगण अपने पिता-प्रपिता के समय से आवागमन करते आ रहे है उक्त रास्ते पर आने जाने के पगइडी के चिन्ह भी अंकित है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 पोकरराम ने खसरा नंबर 575 की भूमि खरीद करने के बाद प्रार्थीगण को अपने खेत में से रास्ते की भूमि पर आवागमन में रोक-टोक बाधा उत्पन्न कर रहा है एवं दिनांक 02.06.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में खसरा नंबर 574 में जाने वाले रास्ते को बंद करने की एलानिया धमकी दी व प्रार्थीगण को नजरी नक्शे में दर्शाये गये ए, बी, सी, डी भू-भाग के रास्ते से होकर आवागमन करने, खाद, बीज, मवेशी, फसल जाने ले जाने से साफ मना कर दिया, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 को प्रार्थीगण के खेत में जाने वाले एकमात्र रास्ते को अवरूद्ध करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है प्रार्थीगण एवं गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 पोकरराम को समझाने की पूरी कोशिश की व कदीमी रास्ते के बाबत् प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 01 को नियमानुसार मुआवजा राशि देने को भी तैयार हो गये, मगर अप्रार्थी संख्या 01 पोकरराम अपने हठधर्मिता स्वभाव के कारण प्रार्थीगण को इस एकमात्र रास्ते को बंद करने पर आमादा है यदि अप्रार्थी द्वारा इस रास्ते को बंद कर दिया गया, तो प्रार्थीगण हमेशा के लिए अपने खेतों में आने-जाने से व काश्त करने व काश्त के रूप में काम में आने जाने औजारों को लाने जाने से महरूम हो जायेंगे, जिससे प्रार्थीगण को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण के खेत में आने-जाने का एकमात्र रास्ता को अवरूद्ध करने से रोका जावें, साथ ही नजरी नक्शे में दर्शाये गये मार्क ए, बी, सी, डी भू भाग का मुआवजा राशि कायम की जाकर अप्रार्थी संख्या 01 पोकरराम को दी जाकर हमेशा वास्ते रास्ते को राजस्व रेकर्ड में कायम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण खिलफ अप्रार्थीगण के प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण का कब्जा जैतारण से मेड़ता सिटी जाने वाली मेगा हाईवे सड़क से होते हुए नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क ए, बी, सी, डी भू-भाग खसरा नंबर 575 में से अपने बेरे खेत खसरा नंबर 574 पर आवागमन का एकमात्र रास्ता है जो रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 पोकरराम की भूमि के पास होकर गुजरता है माफिक नजरी नक्शे में प्रार्थीगण के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में बतौर रास्ते के रूप में दर्ज करवाने का प्रार्थीगण को कानूनी अधिकार है जिसका प्रार्थीगण विधिवत मुआवजा राशि देने को तैयार व तत्पर है इस रास्ते की मुआवजा राशि श्रीमान स्वयं द्वारा तय किया जाने पर प्रार्थीगण देने को तैयार है नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते की भूमि मार्क ए, बी, सी, डी, भू-भाग खसरा नंबर 575 रकबे से कम किया जाकर रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। व रास्ते का खसरा नंबर अलग से भी राजस्व रेकर्ड में कायम किया जावें, एवं उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेश (राजस्व मानचित्र) में तरमीम किया जावे। प्रार्थीगण का उक्त एकमात्र आवागमन का रास्ता इजमेंटरी राईट है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने हेतु खिलाफ अप्रार्थीगण के पेश है। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अन्दर म्याद आवश्यक न्याय शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है उक्त प्रार्थना पत्र को सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ।

अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 का जवाब है कि सरहद मौजा- कांवलिया खुर्द, तहसील-जैतारण में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 01 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 574 रकबा 08-16 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी में किसी प्रकार से कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या 01 खातेदारी भूमि है जिसपर कब्जा व काश्त अप्रार्थी संख्या 01 का निरन्तर चला आ रहा है एवं शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है, जो सही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि जिस पर किसी प्रकार से कोई रास्ता नहीं आया हुआ है। प्रार्थीगण ने मात्र प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से मिथ्या कथन अंकित किये है। उकत खसरा नंबर 574 अप्रार्थी संख्या 01 की खरीदसुदा भूमि है जिस पर किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम नहीं है एवं न ही कदीम से कोई रास्ता चला आ रहा है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 इस भूमि का उपयोग-उपभोग करता है। एवं वर्तमान में अप्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में जीरे की फसल बोई हुई है। तो उक्त भूमि पर रास्ता होने के कथन पूर्णतया मिथ्या है। प्रार्थीगण द्वारा शांतिपूर्वक बिना किसी रोकटोक के नजरी नक्शे में दर्शाये मार्क ए, बी, सी, डी ऊ ए भू-भाग पर रास्ते पर आवागमन करने के कथन भी पूर्णतया गलत लिखे है। जबकि वहां पर कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है। न ही वर्तमान में कोई रास्ता ही विद्यमान है, कारण की वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 की जीरे की फसल खड़ी है। इसलिए केवल मात्र झूठे व बेबूनियादी तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थीगण ने यह मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 का जवाब है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 574 जो कि अप्रार्थी संख्या 01 की खरीदसुदा है एवं वक्त खरीद से ही इस पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है इस विवादित आराजी में प्रार्थीगण या उनके पिता प्रपिता द्वारा किसी प्रकार से आवागमन करने के कथन गलत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 का जवाब है कि खसरा नंबर 575 जैतारण से मेड़ता जाने वाली सड़क के पास स्थित है परन्तु खसरा नंबर 574 में आने जाने का वंहा पर कोई रास्ता विद्यमान न तो था, न ही वर्तगान में है। चूंकि खसरा नंबर 575 की भूमि का अप्रार्थी संख्या 01 एकमात्र खातेदार व कातश्कार है। तथा इसके अलावा खसरा नंबर 574 की भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा आता है जिनका मौके पर किसी प्रकार से राजस्व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़ा नहीं किया गया है न ही बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा हुआ है। केवल अपनी हठधर्मिता एवं संख्याबल में ज्यादा होने के कारण प्रार्थीगण सभी अप्रार्थी संख्या 01 को आये दिन तंग व परेशान करते है। एवं जबरदस्ती रास्ते की भूमि कायम करने के लिए आमादा है। इसलिए मौके पर किसी प्रकार से कोई रास्ता है ही नहीं तो मार्क ए, बी, सी, डी टू ए से दर्ज करने से कोई रास्ता कायम नहीं हो जाता है एवं न ही पूर्व में या

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में कोई ही दर्ज किया हुआ नहीं है न ही रास्ते का कोई अंकन ही है इसलिए भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र केवल मात्र बेबूनियादी तथ्यों को आधार बनाकर एवं अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि हड़पने की नियत से यह मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे।

उक्त संबंध में तहसीलदार जैतारण को क्रमांक/कोर्ट/2019/816 दिनांक 21/10/2019 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार जैतारण ने रिर्पोट प्रस्तुत की वाद में रास्ते हेतु दर्शायी गई भूमि ग्राम कांवलिया खुर्द में प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 574 के हिस्से की भूमि में पहुचने के लिए खसरा नंबर 575 के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अत्यधिक आवश्यक है आराजी में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। खसरा नंबर 575 जो मुख्य सड़क से लगता हुआ है एवं खसरा नंबर 574 जो वादीगण के हिस्से का ही चिपता हुआ है। फर्द मौका जांच में अंकित नजरी नकशे में निकटम दुरी के विकल्प को रास्ते के रूप में प्रस्तावित किया गया है। जिसकी लम्बाई 126 फुट एवं चौड़ाई 14 फुट है। रकबा 0-02 बीघा भूमि होती है। न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प व्यावहारिक है

हमनें विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्ष की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना-पत्र, जवाब-प्रार्थना-पत्र एवं भू-अ-निरीक्षक, लांबिया एवं पटवारी कांवलिया कला की संयुक्त जांच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार है:-

कृषकों के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251 काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251 क को समावेश किया गया हैं, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार -

"(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता हैं, तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे "

उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जांच पश्चात् वैकल्पिक मार्ग नही होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किये गये प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।

भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एवं फर्द मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ग्राम-कांवलिया खुर्द के खसरा संख्या 574 का अभिलिखित खातेदार है, तथा पड़ौसी खसरा संख्या 575 से अपनी जोत तक पहुंचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। खसरा संख्या 575 जैतारण-लाम्बिया-मेड़ता सड़क मार्ग पर स्थित है तथा भू अभिलेख निरीक्षक, लांबिया द्वारा उक्त सड़क मार्ग से जो कि प्रार्थी की जोत के निकटतम स्थित रिकॉर्डेड रास्ता है, खसरा संख्या 575 में से खसरा संख्या 576 की तरफ खेत की भूजा के सहारे-सहारे नवीन रास्ता प्रस्तावित किया है जो फर्द मौका में लाल स्याही से ए, बी, सी, डी के रूप में अंकित है, जिसकी लंबाई 126 फिट एवं चौड़ाई 14 फिट है। फर्द मौका से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता निकटतम अभिलिखित रास्ते से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

न्यूनतम मार्ग के रूप में प्रस्तावित है। प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 574 तक पहुंचने का वर्तमान में कोई विकल्प नहीं है तथा चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ए, बी, सी, डी खसरा संख्या 575 की भुजा के सहारे–सहारे है अतः खसरा संख्या 574 के खातेदार की जोत के खण्डित होने की संभावना भी नहीं रहेगी, साथ ही प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा दर्ज आपत्तियां निराधार एवं सारहीन होने से अस्वीकार्य है, अतः प्रार्थना–पत्र, प्रार्थी स्वीकार करने योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाता है। सरदह मौजा–कावंलिया, तहसील–जैतारण के खसरा संख्या 575 में से 126 फिट लंबा एवं 24 फिट चौड़ा = 1764 वर्गफुट यानि 163.88 वर्गमीटर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैर मुमकिन रास्ता, सिवाय चक दर्ज किए जानें के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि खसरा संख्या 575 की प्रचलित डी.एल.सी दर 27,00,000/– प्रति हैक्टेयर के आधार पर नियमानुसार डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते 163.88 वर्गमीटर की कुल राशि 88496/– (अक्षरे अठ्यासी हजार चार सौ छियानवे रूपये मात्र) प्रार्थीगण से वसूलकर अप्रार्थी को भुगतान करें, उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावें एवं मौके पर कोई अवरोध पाए जाएं तो उन्हें हटाएं, यदि अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावे, अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलंब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण को पालना बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/12/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.01.09 11:14:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: